कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़

पत्रांक 1170/33–वि0नि0/लेखा/रिलीज 2021–22 दिनांक, 07 सितम्बर 2021 ।

अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन पिथौरागढ़।

विषय– **विधायक निधि योजना के अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों की वर्ष 2021–22 प्रथम किस्त की धनराशि का प्रेषण।**

उपर्युक्त विषयक निर्माण कार्य सम्पन्न करवाने हेतु निम्नानुसार ई पेमेण्ट के द्वारा धनराशि 3,75000.00 लाख (रू0 तीन. लाख पिचहत्तर हजार रू0 मात्र) आपके द्वारा संचालित खाता संख्या 10886645312 में संलग्न सूची के अनुसार प्रेषित की जा रही है।जिन्हें प्रत्येक दशा में पूर्ण किया जाना है।

उपरोक्त समस्त कार्यों के विस्तृत आगणन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व जिला विकास कार्यालय को एक प्रति में सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त उपलब्ध कराने के उपरान्त वापस किये जा रहे हैं। जिसमें टी0डी0एस0/जी0एस0टी0 आदि जो भी कर देय हैं, कार्यदायी संस्था के माध्यम से ही जमा किये जायेगें। प्रथम किस्त की धनराशि मानक के अनुसार उपयोग होने पर उपयोगिता प्रमाण पत्र (मूल में) मस्टरौल एवं माप पुस्तिका की प्रमाणित छाया प्रति तथा निर्माण कार्य एवं सूचना पट का फोटो प्राप्त होने पर ही द्वितीय किस्त अवमुक्त की जावेगी। निर्माण कार्य योजना के मार्ग निर्देशों के अनुसार कराया जाय तथा निम्नलिखित निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेः–

1 .धनराशि धार्मिक स्थलों पर व्यय न की जाय तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का कड़ाई से पालन किया जाय।

2. योजना के कार्यस्थल पर विधान सभा/विधान परिषद के माननीय सदस्य के नाम का उल्लेख करते हुए विधायक निधि योजना निर्माण का विवरण, वर्ष, लागत, व्यय धनराशि आदि लिखा हुआ सूचना पट लगाया जाय तथा सूचना पट लगाये जाने के पश्चात ही भुगतान करें ।

3. सूचना पट मार्बल पत्थर पर स्पष्ट रूप से योजना के कार्य के साथ गड़ा होना चाहिए जिसमें पूर्ण विवरण भी लिखा जाय।

4 .निर्माण कार्य पर किसी प्रकार का सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा।

5. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाय तथा समय–समय पर स्थलीय निरीक्षण किया जाय तथा तीन माह के भीतर कार्य पूर्ण कराना अनिवार्य होगा अन्यथा व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

6. मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह की 20 वीं तारीख को आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रेषित की जाय।

7. धनराशि के उपयोग के उपरान्त एक माह के भीतर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाय।

8. स्वीकृत धनराशि की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के बिना उपयोग न किया जाय। तकनीकी तथा प्रशासनिक स्वीकृति की धनराशि कम होने पर तद्नुसार योजना की स्वीकृत धनराशि भी कम कर दी जायेगी।

9. मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संबंध में यह अवगत कराना है कि बिना मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र प्राप्त किये धनराशि व्यय न की जाय।

10. अनु0जाति/जनजाति के विकास हेतु मात्राकृत धनराशि से स्वीकृत निर्माण कार्यो की निर्माण ऐसे स्थलों पर किया जाय, जिससे अनु0जाति/जनजाति के व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ हो।

11. व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल ,वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों एंव उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति /प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2017 तथा तदविषयक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

<u>संलग्न– उक्तानुसार सूची</u>

सहायक परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
पिथौरागढ़।

प्रतिलिपि– 1.मुख्य विकास अधिकारी,महोदय के अवलोकनार्थ।
2.माननीय विधायक विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
पिथौरागढ़।

Shri Rathore

Scanned with OKEN Scanner

	प्रस्तावित कार्य का नाम	विकास खण्ड	वर्ष	स्वीकृत धनराशि लाख रू0	प्रथम किश्त अवमुक्त लाख रू0
1	विधानसभा पिथौरागढ में विद्युत पोल/ विद्युत लाइन/ट्रान्सफार्मर स्थानान्तरण हेतु	विण	2021-22	5.00	3.75
	योग			5.00	3.75

सहायक परियोजना निदेशक
(एन.आर.एल.एम.)
डी.आर.डी.ए. पिथौरागढ

Scanned with OKEN Scanner